रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1829] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932

No. 1829] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

का.आ. 2173(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि किसी भी तेल क्षेत्र में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस-11017/10/97-आईआर (पीएल)]

रवि माथुर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

S.O. 2173(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Any Oil Field as Public Utility Service which is covered by item 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/10/97-IR (PL)]

RAVI MATHUR, Addl. Secy.

3478 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.